**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1522**

**दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ**

**ऊर्जा उपयोग बेंचमार्क की स्थापना**

**1522. श्री आदित्य यादव:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि ऊर्जा उपयोग बेंचमार्क स्थापित करने तथा भवन-विशिष्ट ऊर्जा उपयोग और कार्बन उत्सर्जन का पता लगाने के लिए विद्युत संबंधी उपयोगिता के आंकड़ों को भवन या संपत्ति आईडी के साथ जोड़ने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;च

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) से (ग) :** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता (ईसीएसबीसी) और ऊर्जा कुशल आवासीय भवनों के लिए इको निवास संहिता (ईएनएस) निर्धारित करता है। ईसीएसबीसी/ईएनएस नए वाणिज्यिक भवनों और आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है, जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक या अनुबंध मांग 120 केवीए या उससे अधिक है।

ईसीएसबीसी के अनुसार भवनों में ऊर्जा खपत के लिए बेंचमार्क किलोवाट घंटा/वर्ग मीटर/वर्ष के रूप में व्यक्त किया जाता है और उपर्युक्त कोड में नियमित आधार पर भवनों के लिए ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक स्थापित करने के लिए विद्युत के आंकड़ों को भवनों या संपत्ति आईडी के साथ एकीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, भवनों में विद्युत के अलावा इनपुट ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, जिनमें प्राकृतिक गैस, एलपीजी और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हो सकती है, जो यूटिलिटी विद्युत डेटा से जुड़ी नहीं हैं।

**********